

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सुआदेवी

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट


प्रकरण संख्या :- 643 /2025

--:आदेश:-

दिनांक:-

प्रार्थी सुआदेवी पत्नी कनाराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम भावी की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 1224 के खसरा नंबर 2313 में दर्ज अशुद्ध नाम सुवटी पत्नी कनाराम जाति जाट निवासी भावी का शुद्ध विवरण सुआदेवी पत्नी कनाराम जाति जाट निवासी भावी की राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



Handwritten signature: *nd*
सदर (मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा